न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) जायल जिला नागौर
बइजलास श्री सुरेश कुमार प्रथम आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या– 33/2019

1. शिवकरण पुत्र अमराराम, जाति बावरी, उम्र वयस्क,
2. मांगाराम पुत्र अमराराम, जाति बावरी, उम्र वयस्क,
3. उगमाराम पुत्र अमराराम, जाति बावरी, उम्र वयस्क,
   निवासीगण भावला, तहसील जायल, जिला नागौर

.....वादीगण

बनाम

1. अमराराम पुत्र भोलाराम, जाति बावरी, उम्र वयस्क,
2. प्रेमी पुत्री अमराराम, जाति बावरी उम्र वयस्क,
3. जसोदा पुत्री अमराराम, जाति बावरी उम्र वयस्क,
4. नौरती पुत्री अमराराम, जाति बावरी उम्र वयस्क,
5. सम्पत पुत्री अमराराम, जाति बावरी उम्र वयस्क,
6. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

..... प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 आर0टी0एक्ट 1956

उपस्थित अधिवक्ता–

1– श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट वादीगण की और से।
2– श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की और से
3– प्रतिवादी संख्या 6 के ईकतरफा कार्यवाही है।

:: निर्णय ::

दिनांक –28.08.2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण सभी सगे भाई है। प्रतिवादी संख्या 1 इनका पिता है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 इनकी बहने है। इन सब की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमियां मौजा भावला तहसील जायल में खसरा नं. 688/72 रकबा 17.17 बीघा अन्य भूमियों के साथ आई हुई है। लेकिन कर्ता खानदान होने से राजस्व रेकर्ड में अकेले

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 का नाम आ गया है। इसलिए दावा घोषणा खातेदारी के लिए पेश किया जा रहा है।

अब पक्षकारान ने घरेलू तौर पर अपनी भूमियों का विभाजन कर लिया है जिसके अनुसार वादी संख्या 1 शिवकरण के बंट में मौजा भावला तहसील जायल के खेत खसरा नं. 688/72 रकबा 17.17 बीघा में से बीच का 5.19 बीघा रखा है। वादी संख्या 2 मानाराम के बंट में वादग्रस्त भूमि मौजा भावला तहसील जायल के खेत खसरा नं 688/72 रकबा 17.17 बीघा मे से पश्चिमि 5.19 बीघा भाग रखा है। तथा वादी संख्या 3 उगमाराम के बंट में वादग्रस्त भूमि मौजा भावला तहसील जायल के खेत खसरा नं. 688/72 रकबा 17.17 बीघा मे से पूर्वी 5.19 बीघा भाग रखा है। वादी संख्या 3 के हिस्से के कटाणी मार्ग लगता है जिससे वादीगण संख्या 1 व 2 के बंट के हिस्सो में जाने का रास्ता रहेगा। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के बंट मे इस खेत में से कोई बंट नही रखा है क्योकि उनके बंट में अन्य भूमियां जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है उसमे से हिस्सा रखा है। लेकिन वह भूमि अभी रहन है इसलिए उसे दावा में शामिल नही किया है। लेकिन इस विभाजन का अमल दरामद राजकीय रेकर्ड मे नही हुआ है इसलिए यह दावा वास्ते विभाजन के लिए पेश किया जा रहा है। तथा राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है।

इस पर वाद वादी रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से श्री रामप्रकाश बेन्दा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब देना नही चाहा तथा वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। तहसीलदार जायल बावजूद तामील गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रकरण मे वाद को कोई विरोध किसी पक्षकार द्वारा नही होने के कारण तनकीयात कायम करने की आवश्यक्ता नही है। इस कारण प्रकरण में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये। साक्ष्य में वादी संख्या 1 का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल खतोनी प्रदर्श 1 तथा 2 प्रदर्श करके साक्ष्य बंद की। प्रकरण में वादी के वकील की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद को डिक्री करके राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी करने का अनुरोध किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह प्रकट होता है, कि वादग्रस्त भूमि मौजा भावला तहसील जायल में खसरा नं. 688/72 रकबा 17.17 बीघा पक्षकारान की पुश्तैनी सहखातेदारी की भूमि है। तथा इसका विभाजन पक्षकारान ने कर लिया है तथा विभाजन के अनुसार रेकर्ड में अमल नही हुआ है। इस स्थिति मे मेरी राय मे वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रस्तुत वाद वादी की इस्तदुआ के अनुसार निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :-

1. कि वादग्रस्त भूमि मौजा भावला तहसील जायल में खसरा नं. 688/72 रकबा 17.17 बीघा पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है।
2. कि इस भूमि का विभाजन करते हुए:-

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

1. वादी संख्या 1 शिवकरण के बंट में मौजा भावला तहसील जायल के खेत खसरा नं. 688/72 रकबा 17.17 बीघा में से बीच का 5.19 बीघा भाग घोषित किया जाता है।
2. कि वादी संख्या 2 मानराम के बंट मे मौजा भावला तहसील जायल के खेत खसरा नं. 688/72 रकबा 17.17 बीघा में से पश्चिमि 5.19 बीघा भाग घोषित किया जाता है।
3. कि वादी संख्या 3 उगमाराम के बंट में वादग्रस्त भूमि मौजा भावला तहसील जायल के खेत खसरा नं. 688/72 रकबा 17.17 बीघा में से पूर्वी 5.19 बीघा भाग घोषित किया जाता है।
4. कि वादी संख्या 3 के हिस्से के कटाणी मार्ग लगता है जिससे वादीगण संख्या 1 व 2 के बंट के हिस्सो में जाने का रास्ता रहेगा।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

सुरेश कुमार प्रथम आर0ए0एस0
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार प्रथम आर0ए0एस0
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner